संजय कुमार सिंह, भा.प्र.से.
सचिव
Sanjay Kumar Singh, I.A.S.
Secretary

बिहार सरकार
वित्त विभाग
पुराना सचिवालय, पटना-800015
Govt of Bihar,
Finance Department
Old Secretariat, Patna - 800015
Tel. No. - 0612-2215805
Email - finsecy-bih@nic.in

सत्यमेव जयते

पत्र सं0- ब17/बी0एस0जी0-157/2013-614/वि0

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक 02/06/2026

विषय - **वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्ताव दिनांक-19.06.2026 तक भेजने के संबंध में।**

महोदय,

आगामी विधान मंडल के सत्र में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण उपस्थापित किया जाना है।

2. उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद का 3.0 प्रतिशत तक रखा जाना है ।

3. **स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय** मद अंतर्गत प्रथम अनुपूरक में राशि उपबंध हेतु मात्र निम्नवत् प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय :

(i) जिस विस्तृत शीर्ष एवं विषय शीर्ष में पहले से राशि का उपबंध नहीं कराया गया हो, वहाँ टोकन प्रावधान के रूप में एक हजार रुपये उपबंधित करने का प्रस्ताव देना होगा, शेष आवश्यक राशि का उपबंध पुनर्विनियोग द्वारा कराया जाना होगा ।

(ii) मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के विरूद्ध इस वित्तीय वर्ष में शेष राशि के व्यय हेतु उपबंध ।

(iii) वेतन मद तथा न्यायादेश से आच्छादित मामलों के भुगतान हेतु प्रशासी विभाग द्वारा सकारण प्रस्ताव उपलब्ध कराया जा सकता है ।

(iv) **उपर्युक्त के अलावा अन्य मामलों में अतिरिक्त राशि उपबंधित किया जाना संभव नहीं हो सकेगा ।** अन्य मामलों में राशि का उपबंध प्रत्यर्पण के विरूद्ध ही किया जायेगा। इसके लिए जितनी राशि उपबंधित करायी जानी है, उतनी राशि का प्रत्यर्पण प्रस्ताव भी उपलब्ध कराया जाना होगा ।

4. **राज्य स्कीम** के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक में राशि उपबंध हेतु निम्नवत् प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय :

(i) प्रशासी विभाग द्वारा योजना एवं विकास विभाग से प्राप्त अतिरिक्त उद्व्यय के आलोक में प्रस्ताव भेजा जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव के साथ उद्व्यय निर्धारण से संबंधित पत्र की प्रति भी संचिका पर रक्षित की जाय ।

(ii) अन्य मामलों में राशि का उपबंध प्रत्यर्पण के विरूद्ध ही किया जायेगा। इसके लिए जितनी राशि का उपबंध कराया जाना है, उतनी राशि का प्रत्यर्पण प्रस्ताव भी उपलब्ध कराया जाना होगा ।

(iii) स्कीम अंतर्गत पूर्व से कर्णांकित राशि में परिवर्तन हेतु योजना एवं विकास विभाग से आंतरिक सामंजन प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

5. **केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम** के तहत केन्द्रांश एवं राज्यांश मद अंतर्गत नई स्कीम में प्राप्त होने वाली राशि, जिसका उपबंध मूल बजट में नहीं किया गया है, उपशीर्ष खोलने के प्रस्ताव (स्पष्ट आधार सहित) के साथ राशि के बजटीय उपबंध हेतु योजना एवं विकास विभाग से उद्व्यय प्राप्ति का पत्र संलग्न करते हुये प्रस्ताव दिया जा सकता है।

6. **SNA SPARSH Module** में अधिसूचित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के सफल क्रियान्वयन हेतु वित्त विभागीय पत्रांक- 410, दिनांक- 12.06.2025 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा । **(पत्र की प्रति संलग्न)**

7. **केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम** अन्तर्गत किसी परियोजना के लिए भारत सरकार से राशि प्राप्त हो गयी है किन्तु व्यय के लिए बजटीय उपबंध नहीं किया गया है, तो उसके लिए प्रस्ताव भेजा जाए। यदि पूर्व वित्तीय वर्षों में प्राप्त राशि किसी कारणवश खर्च नहीं की जा सकी थी एवं इस वित्तीय वर्ष में व्यय किया जाना हो तो इस वित्तीय वर्ष में उसके लिए भी प्रस्ताव देने के समय यह स्पष्ट किया जाए कि राशि किस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुई थी। **केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम** के लिए उद्व्यय की आवश्यकता नहीं होगी।

8. अतएव अनुरोध है कि प्रथम अनुपूरक आगणन में राशि सम्मिलित करने हेतु सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए प्रस्ताव **दिनांक-19.06.2026** तक विहित अनुसूची तीन प्रतियों में हस्ताक्षरित कर संचिका के माध्यम से वित्त विभाग, बजट शाखा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अनुलग्नक- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

[signature] 2/6/26

(संजय कुमार सिंह)

सचिव

ज्ञापांकः-ब17/बी.एस.जी.-157/2013/ 614 दिनांक- 02/06/2026

प्रतिलिपि- सचिव,बिहार विधान सभा/विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजीव मित्तल)
अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांकः-ब17/बी.एस.जी.-157/2013/ 614 दिनांक- 02/06/2026

प्रतिलिपि- माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजीव मित्तल)
अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांकः-ब17/बी.एस.जी.-157/2013/ 614 दिनांक- 02/06/2026

प्रतिलिपि- सचिव, लोक सेवा आयोग, बिहार/ अध्यक्ष, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजीव मित्तल)
अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांकः-ब17/बी.एस.जी.-157/2013/ 614 दिनांक- 02/06/2026

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजीव मित्तल)
अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांकः-ब17/बी.एस.जी.-157/2013/ 614 दिनांक- 02/06/2026

प्रतिलिपि- मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त(अंकेक्षण) विभाग/संयुक्त आयुक्त, भविष्य निधि निदेशालय/संयुक्त सचिव, प्रेस एवं स्टेशनरी/उप सचिव, पेंशन/संयुक्त आयुक्त, लेखा/संयुक्त सचिव, स्थापना, वित्त विभाग/संयुक्त आयुक्त, कोषागार शाखा/निदेशक, सांख्यिक वित्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजीव मित्तल)
अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांकः-ब17/बी.एस.जी.-157/2013/ 614 दिनांक- 02/06/2026

प्रतिलिपि- सचिव(व्यय) के आप्त सचिव, बजट प्रशाखा के सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/अवर बजट नियंत्रक/लेखा पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(संजीव मित्तल)
अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांकः-ब17/बी.एस.जी.-157/2013/ 614 दिनांक- 02/06/2026

प्रतिलिपि- प्रणाली विश्लेषक/आई0टी0 मैनेजर, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । प्रणाली विश्लेषक को निदेशित किया जाता है कि इसे विभागीय वेवसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

(संजीव मित्तल)
अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

2

ब०–15/वी०एस०जी०–57/25/– 410 /वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

मुकेश कुमार लाल
विशेष सचिव ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग,
बिहार, पटना ।

पटना–15, दिनांक– 12/06/2025

विषयः– SNA SPARSH Module में अधिसूचित केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के सफल क्रियान्वयन के संबंध में दिशा–निर्देश ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा SNA SPARSH Module के तहत अधिसूचित 28 स्कीमों (सूची संलग्न) को Component wise (General, SCSP and TSP) एक ही HoA (Head of Account) से केन्द्रांश एवं राज्यांश के e-payment हेतु दावा/विपत्र (Claim/Bill) बनाने की व्यवस्था की गयी है ।

2. उक्त व्यवस्था के आलोक में एक ही HoA से केन्द्रांश एवं राज्यांश के e-payment हेतु विपत्र (Bill) बनाने के लिए राज्यांश मद की सम्पूर्ण राशि को उसी स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रांश मद में हस्तान्तरित किए जाने हेतु निम्नांकित प्रक्रियाओं का अनुपालन विभाग स्तर से किया जाना है :–

(i) वर्तमान वित्तीय वर्ष में SNA SPARSH Module में अधिसूचित स्कीमों के लिए संबंधित विभागों द्वारा इस हेतु राज्यांश मद में उपबंधित राशि को प्रत्यर्पित करते हुए समतुल्य राशि को उसी स्कीम अन्तर्गत Component wise (General, SCSP and TSP) केन्द्रांश मद में अनुपूरक के माध्यम से उपबंध कराये जाने हेतु तत्संबंधी प्रस्ताव वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(ii) उपर्युक्त कंडिका–(i) में निहित प्रस्ताव के आलोक में SNA SPARSH Module में अधिसूचित स्कीमों के लिए संबंधित विभागों द्वारा राज्यांश के प्रावधान का प्रत्यर्पण एवं उसी स्कीम अन्तर्गत Component wise (General, SCSP and TSP) केन्द्रांश के प्रावधान कराने के लिए उद्व्यय की प्राप्ति हेतु योजना एवं विकास विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्रवाई पूर्ण कर लिया जाय ।

(iii) SNA SPARSH Module में अधिसूचित स्कीमों के लिए संबंधित विभागों द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष से स्कीम के लिए केवल केन्द्रांश मद हेतु कर्णांकित विपत्र कोड में केन्द्रांश एवं राज्यांश मद के संपूर्ण राशि का उपबंध कराया जाना होगा । साथ ही, कर्णांकित विपत्र कोड के साथ केन्द्रांश एवं राज्यांश के अनुपात का उल्लेख कराया जाना होगा ।

3. उपर्युक्त कंडिका–2(i) के संबंध में सभी संबंधित विभागों से अपेक्षा है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त अधिसूचित स्कीमों के लिए राज्यांश मद में उपबंधित राशि से व्यवहृत राशि के उपरांत अवशेष राशि का ही प्रत्यर्पण किया जाय तथा प्रत्यर्पण के समतुल्य राशि का उपबंध उस स्कीम के केन्द्रांश मद में कराया जाय।

4. उपर्युक्त दिशा–निर्देशों के क्रियान्वयन/अनुपालन में उत्पन्न कठिनाई के निराकरण हेतु वित्त विभाग के बजट शाखा से सम्पर्क किया जाय।

अनुलग्नकः यथोक्त।

विश्वासभाजन

(मुकेश कुमार लाल)
विशेष सचिव।